

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—129/2022 (2022/333) प्रार्थना पत्र

### अनवान

1. मोहनीदेवी पत्नि सुवालाल रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा पिता खुमा रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

### बनाम

1. गोपाल पिता शंकरलाल सरगरा निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जीवणराम पिता दौला सरगरा निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सोहनलाल पिता दौला सरगरा निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नाथीदेवी पत्नि केशा भील निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. उंकारसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शैतानसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. लक्ष्मणसिंह पिता ईश्वरसिंह राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बालु पिता खुमा दरोगा रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

### प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन रंगरेज —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

### निर्णय

दिनांक 19.10.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है राजस्व ग्राम धूलखेड़ा पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 307 में अंकित आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1260 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1629/1263 रकबा 0.0466 है0, कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.4166 है0 भूमि इसी तरह खाता संख्या 305 में अंकित आराजी संख्या 1262 रकबा 0.19 है0 आराजी संख्या 1628/1261 रकबा 0.0633 है0, आराजी संख्या 1630/1263 रकबा 0.1634 है0 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.4167 है0 भूमि व इसी तरह विपक्षी संख्या 8 की शामलाती आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से विपक्षीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान विपक्षीकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने दिनांक 29.07.2022 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण की सादर

प्रार्थना है कि उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर के नाम प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 02.09.2022 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1, 2, 3 स्वयं उपस्थित होकर पत्थरगढ़ी करवाने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की एवं विपक्षी संख्या 4, 5, 6 व 8 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया एवं विपक्षी संख्या 7 के विरुद्ध प्रार्थीगण अधिवक्ता कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रार्थीगण खातेदार है और खातेदार अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने के लिये स्वतंत्र है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हाने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। प्रार्थीगण खातेदार होकर अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है जिसमें अगर कोई विपक्षी ऐतराज भी करता है तो कानूनन स्वीकार योग्य नहीं है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

### आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम धूलखेड़ा पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 307 में अंकित आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1260 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1629/1263 रकबा 0.0466 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.4166 है0 भूमि इसी तरह खाता संख्या 305 में अंकित आराजी संख्या 1262 रकबा 0.19 है0 आराजी संख्या 1628/1261 रकबा 0.0633 है0, आराजी संख्या 1630/1263 रकबा 0.1634 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4167 है0 भूमि व इसी तरह विपक्षी संख्या 8 की शामिलती आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु सम्बधित भू-अभिलेख निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/-रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/-रूपये जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर कमिश्नर से विधिवत् पत्थरगढ़ी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेश सुवालका)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी:—राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—129/2022 (2022/333) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. मोहनीदेवी पत्नि सुवालाल रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुवा पिता खुमा रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पिता शंकरलाल सरगरा निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जीवणराम पिता दौला सरगरा निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सोहनलाल पिता दौला सरगरा निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नाथीदेवी पत्नि केशा भील निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. उंकारसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शैतानसिंह पिता मदनसिंह राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. लक्ष्मणसिंह पिता ईश्वरसिंह राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बालु पिता खुमा दरोगा रावणा राजपूत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा पत्थरगढ़ी कराने बाबत

उपरोक्त अनवान के प्रकरण में प्रार्थी के द्वारा अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाने पर दिनांक 19.10.2022 को स्वीकार किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में आपको आदेश दिया जाता है कि ग्राम धूलखेड़ा पटवार हल्का बागोलिया तहसील रायपुर के बेरुन हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 307 में अंकित आराजी संख्या 1259 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 1260 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 1629/1263 रकबा 0.0466 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.4166 है0 भूमि इसी तरह खाता संख्या 305 में अंकित आराजी संख्या 1262 रकबा 0.19 है0 आराजी संख्या 1628/1261 रकबा 0.0633 है0, आराजी संख्या 1630/1263 रकबा 0.1634 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4167 है0 भूमि व इसी तरह विपक्षी संख्या 8 की शामिलती आराजी संख्या 1258 रकबा 0.02 है0 भूमि स्थित है।

इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढ़ी शुल्क 500/—रूपये राजकोष में जमा एवं कमिश्नर फीस 1000/—रूपये सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक के पास जमा होने पर उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी पक्षकारान को सूचित करते हुए बशामलात पक्षकारान के करायी जावें।

मौके पर दौराने पत्थरगढ़ी अगर प्रार्थीगण की आराजियात पर विपक्षी या अन्य का कब्जा पाया जाता है तो बिना कब्जे में दखल दिये उसको नजरी नक्शा एवं ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाते हुए पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

हुक्मनामा आज दिनांक 19.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(राजेश सुवालका)

उपखण्ड अधिकारी

सहायक रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)